न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /02/2016

1–कृष्ण चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरीचरण लाल
2–श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नि कृष्ण चन्द्र
3–सतीन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र

जाति वैश्य निवासी गोयल भवन, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर नई मण्डी भरतपुर हाल निवासी 401 पर्ल टॉवर "सोमदत्त लैण्ड मार्क" सिविल सिविल लाईन्स, जयपुर राज0

.....अपीलार्थी0

बनाम

1–भारत भूषण पुत्र स्व. श्री द्वारका प्रसाद
2–हेमन्त कुमार पुत्र स्व. श्री द्वारका प्रसाद
3–श्रीमती लता पत्नि हेमन्त कुमार
4–श्रीमती लिपिका पत्नि श्री भारत भूषण
5– तहसीलदार भरतपुर

जाति वैश्य निवासी हरी सदन (एस.बी.बी.जे. समीप) नई मण्डी भरतपुर, तहसील भरतपुर

........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.06.2012 तहसीलदार भरतपुर व नामान्तकरण संख्या 1328 दिनांक 22.6.2012 वाके ग्राम कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 तहसील भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 15.01.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 बखिलाफ आदेश 08.06.2012 व नामान्तकरण संख्या 1328 दिनांक 22.6.2012 वाके ग्राम कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश 08.06.2012 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1328 दिनांक 22.6.2012 को दर्ज किया जाकर रेस्पो0 के हक में स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टान द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/17/1293 दिनांक 10.4.17 से प्राप्त प्रमाणित फोटो प्रति नामान्तकरण संख्या 1328 की प्रति शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि तहसीलदार भरतपुर ने स्व. श्री हरीचरन लाल द्वारा दिनांक 8.10.1992 को लिखी गई वसीयत के अनुसार गवाहन के बयानात लेकर जमाबन्दी में रेस्पो. के नाम अमल दरामद नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 8.6.2012 को आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 8.6.12 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 22.6.12 स्वीकार किया गया है। तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 8.6.12 में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि तहत न्यायालय ने अपंजीकृत वसीयतनामा तारीखी 8.10.1992 के वसीयतकर्ता के विधिक वारिसानों व परिजनों को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही कोई सूचना दी ना ही अदालत तहत ने अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 8.10.1992 के वसीयतकर्ता के विधिक वारिसानों व परिजनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि तथाकथित अपंजीकृत वसीयनामा दिनांक 8.10.92 के वसीयतकर्ता की मृत्यू दिनांक 24.8.93 को हो जाने के 21 वर्ष बाद लम्बी अवधि के पश्चात दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने की बजह कारण पर कोई विचार नहीं कर नियम विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। कथित वसीयत को लेकर अपीलान्ट्स व रेस्पो. के बीच न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) व न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर वाद विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस परिवेदित है क्योंकि खसरा नम्बर 2023 व 2024 के अपीलान्ट भी सह हिस्सेदार हैं तथा उसके पीछे से बिना विभाजन कराये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि प्रार्थी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.6.2012 की नकल लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था, मगर तहसील से उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति नहीं दी गई है, तत्पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट ने आर.टी.आई के तहत नकल के लिये आवेदन किया, तहसील भरतपुर से प्रार्थी का आदेश दिनांक 8.6.12 की फोटो प्रति दी गई जिसके आधार पर अपील पेश की गई है। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.7.2015 को हुई तब जाकर नकल वगै. लेकर अपील जानकारी तारीख से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे.1997 पेज 182, आर.बी.जे.1997 पेज 257, आर.बी.जे.2023 पेज 644, आर.बी.जे.2018 पेज 446, आर.आर.डी. 1981 पेज 351, आर.आर.डी. 1995 पेज 576, उद्धरत करते हुये अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मे गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। अपीलान्ट ने दो आदेशों की एक ही अपील पेश की गई है, अपीलान्ट को दोनों आदेश दिनांक 8.6.12 एव 22.6.2012 की अपील अलग अलग करनी चाहिये थी। अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 1328 की सत्य प्रतिलिपि

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

पेश नहीं की गई है। तहसीलदार ने वसीयत की जांच विधिवत गवाह वगे. लेकर विस्तृत आदेश दिनांक 8.6.12 को पारित किया गया है, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1328 दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है जिस में कोई त्रुटि नहीं की है। दाखिल खारिज एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं होते हैं। यदि अपीलान्ट को स्वामित्व सम्बन्धी आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय से तय करानी चाहिये। नामान्तकरण की कार्यवाही में किसी के स्वामित्व तय नहीं किये जाते हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 166, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 614 एवं आर.आर.टी 2616–17 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 158 उद्धरत किये तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक उभय द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.12 की पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति पर गौर किया गया। फोटो प्रति आदेश दिनांक 8.6.12 तहसीलदार भरतपुर पर किसी भी पक्षकार ने कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया है। तहसीलदार भरतपुर ने आदेश दिनांक 8.6.12 में स्व. श्री हरीचरन लाल की कथित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 8.10.92 पर विस्तृत आदेश पारित किया गया है, नामान्तकरण संख्या 1328 की पुस्त पर अंकित नोट से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण संख्या 1328 तहसीलदार भरतपुर की आज्ञा दिनांक 8.10.92 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित कथित वसीयत/सम्पत्ति को लेकर पक्षकारान के मध्य माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है, जहाँ पक्षकारान के वसीयत/सम्पत्ति हक हकूक तय

जिला कलक्टर
भरतपुर

होने हैं। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है, इस में किसी व्यक्ति के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर